

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

चालक हेतु विशेष भर्ती-2016

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में चालक के 02 पदों (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित) पर भर्ती हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.07.2016 है।

योग्य /इच्छुक पात्र उम्मीदवार विज्ञप्ति की पूर्ण जानकारी उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.highcourtofuttarakhand.gov.in](http://www.highcourtofuttarakhand.gov.in) पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र का प्रारूप तथा सम्बन्धित जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।

ह0

(कान्ता प्रसाद)

महानिबन्धक

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

## विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

चालक की विशेष भर्ती-2016

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में चालक के 02 रिक्त पदों (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित) की सीधी भर्ती हेतु वेतनमान-₹5200-20200 (ग्रेड वेतन-₹2000) पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **पदों के आरक्षण :** पदों पर भर्ती हेतु आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासियों के लिए होगा।

महत्त्वपूर्ण सूचना :- गुप-3 सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले दर्ज होना आवश्यक है।

2. **आयु :** 01 जनवरी 2016 को अभ्यर्थी 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए (उत्तराखण्ड शासन अधिसूचना संख्या 107/XXX(2)/2014 55(41) दिनांक 25.02.2014 के अनुसार संशोधन)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आयु में छूट उत्तराखण्ड सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी। सरकारी कर्मचारियों को उचित माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. **शैक्षिक योग्यता :-** अभ्यर्थी

- 1) अभ्यर्थी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा हिन्दी लिखने और पढ़ने में सक्षम हो तथा अंग्रेजी अक्षर और अंकों का ज्ञान हो।
- 2) अभ्यर्थी के पास हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- 3) अभ्यर्थी को कार ड्राइविंग का न्यूनतम 05 वर्ष का अच्छा अनुभव होना चाहिए। पहले नियेक्ता से जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **शारीरिक अनुरूपता:**

ऐसे अभ्यर्थी को पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जो शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने सरकारी कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उसे स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. **वैवाहिक स्थिति :** पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला उम्मीदवार, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होंगे।

6. **भर्ती की प्रक्रिया :**

अभ्यर्थी का चयन व्यवसाय परीक्षण जो कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जा सकता है।

7. **आवेदन पत्र -**

सीधी भर्ती के आवेदन हेतु केवल पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जो कि [www.highcourtofuttarakhand.gov.in](http://www.highcourtofuttarakhand.gov.in) से डाउनलोड होने चाहिए। अभ्यर्थी जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट ₹150/- का जो कि महाबिन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के नाम पर देय हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अपूर्ण रूप से भरे हुए तथा बिना बैंक ड्राफ्ट के प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।

8. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र अंतिम तिथि 15.07.2016 समय 4.30 बजे तक महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष प्राप्त हो जाने आवश्यक हैं। आवेदन करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तरदायी नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर (चालक पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र -2016)। सरकारी कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र केवल उचित माध्यम द्वारा तथा विभागाध्यक्ष के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित करना आवश्यक होगा।

9. योग्य अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर व्यवसाय परीक्षण से पूर्व अपलोड की जाएगी। व्यवसाय परीक्षण तथा साक्षात्कार की तिथि उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी तथा सामाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी। साक्षात्कार उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में आयोजित किया जाएगा।

10. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो कि पद की पात्रता को पूरा करते हों, उक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से

ह0

(कांता प्रसाद)  
महानिबन्धक

**उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल**  
**चालक की विशेष भर्ती -2016**  
**आवेदन पत्र**

1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पत्राचार का पता .....  
.....पिन.....
4. टेलीफोन/मोबाईल नं0.....ईमेल.....
5. स्थायी पता .....  
.....पिन.....
6. जन्मतिथि (संलग्न हाईस्कूल अंकतालिका की छायाप्रति) .....
7. 01.07.2016 को आयु .....वर्ष.....महीना.....दिन
8. क्या आप भारतीय नागरिक है .....
9. अधिवास का स्थान राज्य.....जिला.....
10. क) सेवायोजन कार्यालय का नाम जहां अभ्यर्थी का नाम दर्ज हो.....  
.....  
ख) संवायोजन कार्यालय की पंजीकरण संख्या तथा वैधता की तिथि .....  
.....(संलग्न पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति)
11. बैंक ड्राफ्ट विवरण : राशि (₹)..... संख्या..... दिनांक.....बैंक का नाम .....
12. श्रेणी का उल्लेख अर्थात् अनु0जाति0 प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।.....
13. क) वैवाहिक स्थिति .....
- ख) यदि वैवाहिक है तो बताएं यदि आपकी एक से अधिक पत्नी जीवित हैं या ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित है।.....
14. शैक्षिक योग्यता का विवरण (सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

अभ्यर्थी अपना  
नवीनतम  
पासपोर्ट आकार  
का छायाचित्र  
चस्पा करे

परीक्षा का नाम	बोर्ड/यूनिवर्सिटी का नाम	विषय	वर्ष	प्रतिषत	ग्रेड/श्रेणी

15. अनुभव का विवरण (यदि कोई) :

नियोक्ता का नाम	पद का नाम	सेवा में आने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	वेतन

16. यदि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं (यदि हां, विवरण दें)

पद का नाम..... नियुक्ति की तिथि.....

**उम्मीदवार द्वारा घोषणा**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उक्त सभी जानकारी सत्य एवं सही हैं। यदि मेरे द्वारा की गई कोई घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है तथा यदि मेरी नियुक्ति के बाद भी कोई जानकारी असत्य/फर्जी पाई जाती है तो मुझे सेवा से निलम्बित किया जा सकता है।

स्थान :

दिनांक :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल  
चालक की विशेष भर्ती –2016

प्रवेश पत्र  
चालक की विशेष भर्ती –2016  
व्यवसाय परीक्षण तथा साक्षात्कार हेतु

अनुक्रमांक .....(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता का नाम .....

पत्राचार का पता .....

.....

.....

ईमेल .....

मोबाईल/फोन नं० .....

व्यवसाय परीक्षण की तिथि ..... (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

व्यवसाय परीक्षण हेतु स्थल आर०टी०ओ० हल्द्वानी, जिला नैनीताल

साक्षात्कार की तिथि ..... (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

साक्षात्कार का स्थल उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा

ह०  
(कांता प्रसाद)  
महानिबंधक

